योगी भी राम रहीम की तरह न्याय की गड्डी चढ़ेंगे!

सौदा डेरे के मठाधीश गुरमीत ने वोट-राजनीति के प्रश्रय में अपने व्यभिचारी आतंक का साम्राज्य फैलाया था। गोरखपुर के गोरखनाथ पंथ मठाधीश योगी के लिए साम्प्रदायिक आतंक ही वोट-राजनीति का पर्याय रहा है...

वीएन राय, पूर्व आईपीएस

योगी आदित्यनाथ को उनके प्रभाव क्षेत्र में अपराजेय माना जाता रहा है। जैसे कभी राम रहीम को माना जाता था।फिलहाल स्वतंत्र न्यायपालिका का 'देर आयद दुरुस्त आयद' समीकरण, बेशक 15 वर्ष लगाकर, न्याय के चंगुल में राम रहीम की हवा निकाल चुका है। क्या योगी की बारी भी आयेगी ?

पिछले दिनों पैसे और प्रभाव के दखल की मारी भारतीय न्याय व्यवस्था के हाथों शासकों के चहेते अरबपति बलात्कारी धर्मगुरु गुरमीत सिंहराम-रहीम को न्याय की गड्डी चढ़ते देखना एक अजूबे संयोग से कम नहीं कहा जाएगा।

इसी तरह, धर्म और राजनीति में कई गुणा विशाल आभामंडल वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आतंकी पापों का घड़ा फूटने की दिशा में भी कुछ वैसा ही न्यायिक संयोग बनना क्या संभव है?

9 अक्तूबर को योगी को लेकर अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली है। इसमें, 2006-07 के दौर में, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, योगी की 'हिन्दू वाहिनी' के बैनर तले सांप्रदायिक उन्माद और मार-काट में उनकी भड़काऊ अगवाई की कानूनी जवाबदेही तय होनी है। योगी ने इस वर्ष अप्रैल में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही,अपने पर मुकदमा चलाये जाने की स्वीकृति रोक दी थी। यानी अपने मामले में वे स्वयं ही जज भी बन गए। हाईकोर्ट को उनके इस फर्जीवाड़ा पर फैसला देना है।

सिरसा के सच्चा सौदा डेरे के मठाधीश गुरमीत ने वोट-राजनीति के प्रश्रय में अपने व्यभिचारी आतंक का साम्राज्य फैलाया था। गोरखपुर के गोरखनाथ पंथ मठाधीश योगी के लिए साम्प्रदायिक आतंक ही वोट-राजनीति का पर्याय रहा है।

2006-07 में,योगी के 'हिन्दू वाहिनी' क्रियाकलापों पर,तब के तीन युवा छात्रों राजीव यादव, शाहनवाज आलम, लक्ष्मण प्रसाद की डाक्यूमेंट्री 'भगवा आतंक' उस रोंगटे ख ? कर देने वाले दौर की गवाह है। डाक्यूमेंट्री, सांप्रदायिक जुनून और नफरत से भरे उस दौर का दस्तावेज है जब योगी गिरोह मुस्लिम बस्तियों के सामने लाउड स्पीकर लगा उन पर बेरोक-टोक गालियों और धमकियों की बौछार किया करता था।सांप्रदायिक तनाव, धर्म परिवर्तन, आगजनी, बलात्कार, लूट और शारीरिक हिंसा के आह्वान इस गिरोह के घोषित औजार हुआ करते थे। साम्प्रदायिक उन्मादऔर दंगों से चुनावी ध्रुवीकरण के हिंसक खेल में योगी सबसे आगे निकल चुके थे।

यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी की उग्रतम साम्प्रदायिक छवि, संघ-भाजपा नेतृत्व की हिन्दू राष्ट्र रणनीति से इतर जाने की भी रही है। आश्चर्य नहीं कि मायावती ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा में योगी को देशद्रोही तक करार दिया।

बतौर भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री (2002-03) उन्होंने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखकर योगी की गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा था।बाद में, प्रदेश के पूर्णकालिक मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह (2003-07) और मायावती(2007-12) पास अवसर था कि वे अपने दम योगी की नकेल कस सकते थे, तो भी दोनों ही वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति से बाहर नहीं निकल सके।

योगी की गतिविधियों को लेकर, भाजपाई राजनीति में उदारवादी गिने जाने वाले वाजपेयी की चुप्पी भी कम आपराधिक नहीं कही जायेगी। ध्यान रहे, गुरमीत के यौन शोषण का शिकार हुयी सेविका की चिट्ठी पर भी वाजपेयी काल में प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुप्पी साधे रखी और तब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दखल से ही मामले में सीबीआई जाँच संभव हो सकी। लगता है, योगी के अराजक प्रसंग में, सर्वत्र राजनीतिक चुप्पी के बाद, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कुछ वही भूमिका निभा सकता है!

संक्षेप में एक नजर न्यायिक घटनाक्रम पर। 2007 में गोरखपुर पुलिस ने योगी के विरूद्ध आपराधिक केस दर्ज करने से मुंह मोड़ लिया। सीजेएम ने भी सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत केस दर्ज करने की याचिका ठुकरा दी। अंततः,गोरखपुर के प्रतिबद्ध समाजकर्मी परवेज परवाज और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुझारू वकील असद हयात की याचिका पर, 2008 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सका।

योगी के सह-अभियुक्तों में मोदी सरकार के एक वर्तमान राज्यमंत्री, योगी सरकार के एक वर्तमान मंत्री और गोरखपुर की वर्तमान मेयर भी शामिल हैं। मेयर अंजू ने तब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देकर उस के कार्यान्वयन पर स्टे ले लिया था। दिसंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्टे टूटने के बाद ही विवेचना शुरू हो सकी।

समाजवादी अखिलेश यादव (2012-17) के मुख्यमंत्री होने के बावजूद विवेचना बेहद धीमी गति से चली। यहाँ तक कि अखिलेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने तक भी अभियोजन के अनुमोदन की फाइल उनके दफ्तर में लंबित रहने दी गयी। लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी ने जैसे ही न्याय का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना शुरू किया, याचिकाकर्ता परवेज परवाज और असद हयात पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा पहुंचे।

4 मई की सुनवाई में राज्य सरकार ने गोल-मोल जवाब दिया। 11 मई की पेशी में हाई कोर्ट को बताया गया कि 3 मई को ही अनुमोदनन देने का फैसला लिया जा चुका है। हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी देने के साथ 9 अक्तूबर को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पहल ने सांप्रदायिक आतंक के योगी अध्याय में न्याय की उम्मीद नए सिरे से जगाई है। इसी 19 सितम्बर को लखनऊ प्रेस क्लब में, गौरी लंकेश की स्मृति में, दिल्ली के बटला हाउस कांड की बरसी पर लगभग ढाई सौ लोगों की एक सभा में मैं भी शामिल हुआ। ये सभी सांप्रदायिक सद्भाव के मोर्चे पर सक्रिय लोग थे।

दुखद है, 9 वर्ष गुजरने पर भी बटला हाउस पुलिस मुठभे? कांड का पटाक्षेप नहीं हो सका है। इस बीच यदि सरकारों की प्रणाली पारदर्शी रही होती तो श्वेत पत्र के माध्यम से सभी सम्बंधित तथ्य सार्वजनिक किये जा चुके होते। जाहिर है, सरकार की फाइल में जो मामला निपट चुका है, उसके पीड़ितों को साल दर साल न्याय का इंतजार रहेगा। उनके धैर्य भरे संकल्प ने मुझे एक और सभा की याद दिला दी।

इसी वर्ष 24 फरवरी को मुझे गुरमीत के सच्चा सौदा डेरा मुख्यालय वाले हरियाणा के सिरसा शहर के सक्रिय किरदारों से मिलने का भी अवसर मिला था। केंद्र/राज्य की भाजपा सरकारों से पोषित इस बलात्कारी का दबदबा अभी कायम था। राष्ट्रीय मीडिया भी अभी भीगी बिल्ली ही बना हुआ था।

2010 से दर्जनों स्त्रियों-पुरुषों के डेरा परिसर से गायब किये जाने की शिकायतें लंबित हैं। इस बीच राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के अमूमन गुरमीत दरबार में मत्था टेकने के कितने ही विडियो वायरल हो चुके हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में प्रधानमन्त्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तक सिरसा जाकर उसका गुणगान कर आये थे।

चुनाव में विजय के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में तमाम पार्टी विधायकों द्वारा उसके दरबार में अभूतपूर्व हाजिरी लगाने का मंजर कौन भूल सकता है।

हालाँकि, जो लगभग दो सौ लोग इस 'देशभक्त स्मृति' सभा में हिस्सा लेने आये थे, उनके लिए सिरसा शहर, यौन शोषण और राजनीतिक आतंक का पर्याय बन चुके धर्मगुरु का नहीं, बल्कि स्वर्गीय कामरेड बलदेव बख्शी जैसे प्रगतिशील नेतृत्व और पत्रकार छत्रपति जैसे शहीद योद्धा का शहर था।

नब्बे के दशक का उत्तरार्ध रहा होगा जब इन दोनों महानुभावों के सान्निध्य में मैंने, दिल्ली से सिरसा आकर 'भगत सिंह से दोस्ती' अभियान में शिरकत की थी और राम रहीम नामक अंध श्रद्धा के लौह कपाट पर जागरूक चेतना की ठोस दस्तक को सुना था। अब उसी क्रम में मेरा साक्षात्कार अगली पीड़ी के न्याय योद्धाओं से हुआ।

प्रतिबद्ध अश्विनी बख्शी, जो चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में वकालत करते हैं और अंशुल छत्रपति, जो सच की पत्रकारिता में साहसी पिता की प्रतिमूर्ति लगे। ये और इनके तमाम साथियों ने गुरमीत को न्याय की गड्डी पर चढ़ा कर ही दम लिया।

लखनऊ प्रेस क्लब की सभा में भी मुझे योगी मामले के मुख्य सक्रिय किरदारों-परवेज परवाज, असद हयात, राजीव यादव, शाहनवाज आलम, लक्ष्मण प्रसाद-से रूबरू होने का मौका मिला। उनमें, न्याय के पक्ष में संघर्ष जारी रखने की वही दृष जीवटता देखने को मिली जो मैंने राम-रहीम आपराधिक मामलों को अंजाम तक पहुँचाने वालों में पायी थी। यानी न्याय का इंतजार जितना लम्बा खिंचे, उसकी ल ?ई में कसर नहीं रहेगी।

डाक्यूमेंट्री 'भगवा आतंक' में कैद रक्तरंजित विवरण यहाँ दोहराए नहीं जा सकते। बस, कैमरे में कैद एक पीड़ित वृद्ध महिला का चेहरा, जिसने परिचित आततायियों को परिचित शिकारों पर वार करते देखा था, दिमागी परदे से नहीं उतरता। पूछने पर कि हमलावर गिरोह क्या नारे लगा रहा था, वह यही दोहराती रही-

मारो... काटो... मारो... काटो... मारो...काटो। 9 अक्तूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस गूंज नारे को सुनेगी, यह मेरा भी विश्वास है!

फरीदाबाद में 50 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी घोटाला

पेज तीन का शेष

दफ्तर में लटकता पाया गया। सेक्टर 55 में कृष्ण ने भी जान दे दी। दिल्ली के सुनील कुमार नामक प्रॉपर्टी डीलर ने फरीदाबाद में पैसे निवेश कर रखे थे। घाटा हुआ तो लकड़पुर फाटक पर जाकर जान दे दी। पलवल में प्रॉपर्टी डीलर व वकील करतार सिंह सहरावत ने भी घाटा होने पर जान दे दी।

प्रॉपर्टी बिजनेस में घाटा होने पर खुदकुशी करने वालों की यह लिस्ट लंबी है। लेकिन किसी भी में पुलिस यह नतीजा नहीं निकाल सकी कि इन छोटे इन्वेस्टरों ने अपने पैसे जो बड़े निवेशकों के पास लगा रखे थे, वह पैसे वापस न मिलने पर उन्हें जान देनी पड़ी।

कहां है रेरा

.सरकार ने प्रॉपर्टी बिजनेस को रेगुलेट करने या इसकी समस्याएं दूर करने के लिए 29 जुलाई को रेरा नामक सरकारी नियामक एजेंसी बनाई। हरियाणा में इसे बनाने की अधिसूचना 29 जुलाई को जारी हो चुकी है। फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, सोनीपत से 300 अर्जियां रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के पास आ चुकी हैं लेकिन रेरा का जो दफ्तर फरीदाबाद व गुड़गांव में शुरू होना था, वह शुरू ही नहीं हो सका। ऐसे में शिकायतों पर सुनवाई कब शुरू होगी, कोई नहीं जानता।

सो रहा है फरीदाबाद

फरीदाबाद में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियबाद की तरह एक भी छोटा इन्वेस्टर आवाज उठाने के लिए सड़कों पर नहीं आया है। पिछले दिनों नोएडा में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ जिस तरह लोग सड़कों पर आए थे और सरकार को झुकना पड़ा, वैसा कोई भी आंदोलन फरीदाबाद में देखने को नहीं मिला। नोएडा में तो छोटे इन्वेस्टरों ने अपना संगठन तक बनाया हुआ है लेकिन फरीदाबाद-पलवल वगैरह में इसका अभाव है। राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियनों के पास भी इतना समय नहीं है कि वे छोटे इन्वेस्टरों की आवाज बन सकें। फरीदाबाद सिर्फ इसी मुद्दे पर ही नहीं, तमाम मुद्दों पर चैन की नींद सो रहा है। लेकिन नतीजा किसी न किसी दिन तो भुगतना ही पड़ेगा...तब तक रामनाम की लूट चलती रहेगी।

मैं नपुंसक हूं, राम रहीम ने अदालत से फिर कहा

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा बलात्कार मामले में 20 साल की सजा सुनाये जाने के खिलाफ राम रहीम ने हाइकोर्ट में दाखिल की याचिका

दिल्ली। साध्वी बलात्कार मामले में दोषी पाए जाने के बाद राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है। सीबीआई अदालत द्वारा सुनाई गई इस सजा के खिलाफ राम रहीम ने उच्च न्यायालय में आज 25 सितंबर को एक यायिका दायर कर दी है।

गौरतलब है कि पिछले महीने 28 अगस्त को हुई सुनवाई में सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबा को 2 साध्वियों के बलात्कार मामले में संलिप्त पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल राम रहीम रोहतक जिला जेल में बंद हैं।

सजा के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा की शरण में पहुंचे डेरा प्रमुख ने अपनी याचिका में कहा है कि उन पर साबित किए गए आरोप मनगढंत हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक 50 वर्षीय राम रहीम ने याचिका में दावा किया है कि वह किसी से भी फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम ही नहीं हैं तो फिर वे कैसे किसी के साथ बलात्कार कर सकते हैं।

गौरतलब है कि राम रहीम को अपने फैसले में सीबीआई कोर्ट की स्पेशल अदालत द्वारा 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई कोर्ट ने दो अलग—अलग पीडितों के लिए 15—15 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि राम रहीम को सजा की घोषणा होने के बाद डेरा अनुयायियों ने भारी उत्पात मचाया था, जिसमें लगभग 50 लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान अलग हुआ था।

2002 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को एक साध्वी के पत्र की सुनो को लेकर संज्ञान लेते हुए, सीबीआई को सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली महिला आयोग ने पीड़िता को दिया 25 लाख का मुआवजा

अबतक किसी भी राज्य महिला आयोग ने किसी पीड़िता को इतनी बड़ी मुआवजा राशि नहीं दी होगी। मुआवजे की यह राशि पीड़िता के सीधे खाते में जाएगी, मिलेगी भी अलग—अलग वर्षों में जिससे पीड़िता बन सके देश की सक्षम नागरिक...

दिल्ली (म.मो.) आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार फिर एक बार अपने सकारात्मक पहल को लेकर चर्चा में है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद ने एक बलात्कार पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा देने का निर्णय लिया है।

आयोग ने यह निर्णय बाल न्यायालय द्वितीय के उस निर्णय के बाद दिया जिसमें न्यायालय ने पीड़िता को मुआवजे के लिए कहा था।

महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद के मुताबिक, 'पीड़िता के साथ हुए अपराध की तीव्रता को तो कम नहीं किया जा सकता, पर उसको नई जिंदगी शुरू करने और दुबारा नई उर्जा के साथ खड़े होने का साहस जरूर दिया जाना चाहिए। और हमने कानून विशेषज्ञों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और बाल अधिकार पर काम करने वाले एनजीओ के सुझावों के बाद यह कदम उठाया है'

उत्तरी दिल्ली में रहने वाले एक रिक्शा चालक की 5 वर्षीय बेटी के साथ वर्ष 2011 में रेप हुआ। अपराधी ने पहले पार्क में खेल रही बच्ची के चेहरे और सिर पर हमला किया। इससे वह अधमरी हो गयी। अधमरी हालत में अपराधी ने उसका रेप किया। जब उसे लगा कि बच्ची मर गयी है तो उसे वहीं छोड़कर चला गया।

वारदात के कुछ घंटे बाद किसी की निगाह पड़ी तो पुलिस की मदद से बच्ची अस्पताल ले जाई गयी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान पाया कि उसके सिर, चेहरे और योनि पर गहरे चोट के निशान हैं और योनी के अंदर गहरे जख्म हैं।

11 साल की बच्ची की सुनवाई करते हुए बाल न्यायालय द्वितीय के जज ने आदेश दिया कि बच्ची के पालन—पोषण और बेहतर जीवन के लिए आयोग मुआवजा दे। उसके बाद महिला आयोग ने यह फैसला लिया।

उत्तर दिल्ली में रह रही बच्ची और उसके परिवार में पिता रिक्शा चलाकर घर चलाते हैं। वह रिक्शे से महीने में 8 हजार रुपए कमा लेते हैं। आयोग ने 25 लाख रुपए की राशि पीड़ित लड़की के नाम से देने का निर्णय लिया है, जिसमें पढ़ाई, भोजन, दवा, अन्य दैनिक खर्च और उच्च शिक्षा का बजट शामिल है। लड़की को 25 लाख की राशि की आखिरी किश्त उसके 22 साल के होने पर मिलेगी।